(3)

संख्या–118 बीपी/35–1–2014

प्रेषक,

पुष्पा सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनॉक 20 मई, 2014

विषयः–बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि की अवमुक्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में शासनादेश संख्या–2374/35–आ–1/2010, दिनांक 27 अक्टूबर,2010 के माध्यम से बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन नये डगवेल के निर्माण नामक परियोजना को रू. 25000.00 लाख की लागत (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रू. 12500.00 लाख+मनरेगा से रू 12500.00 लाख) सहित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू. 10000.00 लाख की धनराशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में अवमुक्त की गई थी, जिसमें से वर्ष 2010–11 में मात्र रू 432.63 लाख का व्यय हुआ है तथा शेष धनराशि समर्पित हो गई। वित्तीय वर्ष 2011–12 में परियोजना को पूर्ण करने हेतु वांछित रू. 12067.37 लाख की धनराशि विभाग को अवमुक्त की गयी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू 2283.25 लाख की धनराशि व्यय की गयी और शेष धनराशि समर्पित हो गयी। वर्ष 2012–13 में परियोजना के कार्यो को पूर्ण करने हेतु विभाग द्वारा रू 4784.12 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई थी, जिसके सापेक्ष रू 1967.47 लाख का व्यय हुआ तथा शेष धनराशि समर्पित हो गयी। वर्ष 2013–14 में इस परियोजना के हेतु विभाग को रू 2816.65 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई थी, जिसके सापेक्ष रू 2106.60 लाख का व्यय हुआ तथा शेष धनराशि समर्पित हो गयी। इस प्रकार कुल मिलाकर रू 6789.95 लाख का व्यय हुआ और अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में अनुमन्य रू 12500.00 लाख के सापेक्ष रू 5710.05 लाख की धनराशि व्यय करने हेतु बचती है। अतः परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की सीमा के अंतर्गत रहते हुए रू 5000.00 लाख (रूपये पचास करोड़ मात्र) की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1– संदर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

2– मनरेगा से अपेक्षित धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से समन्वय करते हुए प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3– इस शासनादेश से स्वीकृत कार्यो को मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा।

4– राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय, महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,

2015 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

5— स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व लघु सिंचाई विभाग का होगा। तदनुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।

2— स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014—15 के बजट के अनुदान संख्या—40 के अंतर्गत लेखाशीर्ष—4575—अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय—आयोजनागत—02—पिछड़े क्षेत्र—800—अन्य व्यय—04—बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं—20—नये डगवेल का निर्माण—24—वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3— यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय—ज्ञाप संख्या बी—1—795/दस—2014—231/ 201 दिनॉक 14 मार्च, 2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या— 118 बीपी(1)/35—1—2014 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
2— महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3— प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई/सिंचाई विभाग/ग्राम्य विकास विभाग
4— प्रमुख सचिव, वित्त।
5— निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
6— मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूटधाम।
7— जिलाधिकारी, जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
8— मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
9— कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
10— गार्ड फाईल।
11— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग—5
12— जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।

आज्ञा से,

(पुष्पा सिंह)
विशेष सचिव।